

Regarding long-pending land allotment issue of families displaced from Kangra District, Himachal Pradesh

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर मुझे दिया है। मैं देव भूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूँ। हम पहाड़ के लोगों ने अपनी जवानी, कुर्बानी और पानी देश के लिए देने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। इस बात को 50 साल से ज्यादा हो गए। पोंग डैम को बनाने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा था। उस समय 339 गांवों से 20,772 परिवारों को खाली करा दिया गया। उनको राजस्थान में जमीन देने का वायदा किया गया। उनको वहां से विस्थापित किया गया और राजस्थान में स्थापित करने की बात कही गई। उनकी जमीन पानी में डूब गई। वे घर से बेघर हो गए। बाकी राज्यों में बिजली पहुंच गई, लेकिन उनके घरों में अंधेरा छाया रहा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के लोगों का क्या कसूर था? वे अपने घर-परिवार से बिछड़ गए और उनकी जमीनें चली गईं। राजस्थान में उनको जमीन देने का वायदा किया गया था, वह जमीन उन्हें नहीं मिल पाई, न उनके घर बस पाए, न उनको पैसा मिल पाया। आज भी 6,700 से ज्यादा परिवार जमीन मिलने का, स्थापित होने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी दो पीढ़ियां चली गईं, लेकिन वे स्थापित नहीं हो पाए। क्या देश में यह सही हो रहा है? कितनी सरकारें आकर चली गईं, मैं भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे उस समय कांग्रेस का निर्णय रहा होगा, लेकिन राजस्थान में एक के बाद दूसरी सरकारें आकर चली गईं। राजस्थान जाकर अपनी जमीन को ढूंढने के लिए लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। ये लोग अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, वे उनको अगली डेट डाल देते हैं। कितनी पीढ़ियों को और इंतजार करना पड़ेगा, कितने वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा?

मेरे साथ कांगड़ा के सांसद राजीव भारद्वाज जी भी यहां पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरवेंशन कर दी। वर्ष 1996 की जजमेंट जो प्रदेश पोंगवाद वाद विस्थापित समिति का था, उसमें भी रीहैबिलिटेशन इनकंप्लीट रही। आज तक 6,700 लोगों को अपनी जमीनें नहीं मिल पाई हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पर नहीं मिला। इसमें ब्यूरोक्रेटिक आब्स्टेकल्स हैं। हिमाचल प्रदेश आफिसर्स ने एक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिसम्बर, 2024 में दी। इसमें उन्होंने इसको जल्द से इंप्लीमेंटेशन करने की बात कही। पेंडिंग एलॉटमेंट की जाए, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया जाए। जल शक्ति मंत्रालय और गृह मंत्रालय इसमें इंटर मिनिस्टीरियल रिव्यू करे, सेंट्रल हाई पावर कमेटी स्थापित की जाए, जॉइंट टास्क फोर्स राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार की बनाई जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के विस्थापित परिवारों को जमीन मिल सके। उनको उनका हक मिले। अगर सदन को लगता है कि विस्थापितों को उनका हक मिलना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ संबद्ध होकर कहें, क्योंकि कांगड़ा के सांसद माननीय राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। हम आपके माध्यम से इस मांग को रखते हैं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अब मैं केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने का मौका दे रहा हूँ, जिन्हें इस सप्ताह अभी तक मौका नहीं मिला है।

कृपया केवल एक ही मिनट में अपनी बात रखें ताकि सबको बोलने का अवसर मिल सके।

